

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 1167(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1158(अ), तारीख 15 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 32/2017-केंद्रीय कर, तारीख 15 सितंबर, 2017 के हिंदी पाठ में स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण पढ़ा जाए, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "हस्तशिल्प माल" पद से, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उत्पाद और उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित सुमेलित नामपद्धति प्रणाली (एचएसएन) संहिता अभिप्रेत है, जब उत्पाद शिल्पकारों द्वारा प्रमुखतया हाथ से बनाया जाता है, हालांकि प्रक्रिया में कुछ मशीनरी का भी प्रयोग किया जा सकेगा।"

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी)]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

RAKESH SUKUL  Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2017.09.16 16:54:04
+05'30'